

पेज संख्या 1/4

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2016

अपीलांत

1. कमलादेवी पत्नी श्री मगनलालजी माली जाति माली, आयु वयस्क पेशा खेती व गृहणी निवासी सिरोही तहसील व जिला सिराही, राजस्थान।
2. दीपेन्द्रसिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह देवडा जाति राजपूत आयु वयस्क पेशा खेती व व्यापार निवासी पीथापुरा 'एस' तहसील रेवदर जिला सिरोही राजस्थान।
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क पेशा खेती व व्यापार निवासी सिरोडी, तहसील रेवदर जिला सिरोही राजस्थान।

बनाम

1. पंकुदेवी पत्नी श्री कालूजी मेघवाल जाति मेघवाल आयु वयस्क पेशा व्यापार निवासी भैसवाडा तहसील आहोर जिला जालोर।
2. तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थित :-

श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 05.08.2019


अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 03/2015 बउनवान सरकार बनाम पंकुदेवी में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

01 की हद तक प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादग्रस्त भूमि ग्राम सिरोडी के खसरा नंबर 473/7 में से रकबा 1.10 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि थी, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त आवेदन पर विधिवत जांच के पश्चात संपरिवर्तन आदेश जारी किया। उक्त भूमि संपरिवर्तन होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांत को बेचान कर दी, जो बेचान दस्तावेज पंजीबद्ध है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने ही आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर राशि कम जमा होने का कारण अंकित करते हुए संपरिवर्तन आदेश अपास्त कराने का निवेदन किया। उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा अपीलांत को पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये तहसीलदार रेवदर द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश को अपास्त कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध है। चूंकि उस समय तहसीलदार के पद का कार्यभार नायब तहसीलदार के पास था, जिसके द्वारा तहसीलदार के पदीय कर्तव्यों एवं शक्तियों का उपयोग करते हुए संपरिवर्तन आदेश पारित किया था। यदि संपरिवर्तन राशि कम जमा हुई है, तो वह जमा भी करवाई जा सकती है, मात्र इस आधार पर संपरिवर्तन आदेश को अपास्त किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा जिस आदेश को अपास्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, वह आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में पारित किया गया है, इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ही प्रकरण में प्रभावित पक्षकार था। जिसे बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया, जबकि मौके पर कॉलोनी बनाई हुई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने भूमि को मौका निरीक्षण नहीं किया गया, जो आवश्यक था एवं संपरिवर्तन शुल्क की राशि कम जमा हुई थी। इन समस्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये संपरिवर्तन आदेश अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अत अपील खारिज फरमाई जावे।


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार रेवदर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर मौजा सिरोडी के खसरा नंबर 473/7 में से रकबा 1.10 बीघा भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/13/831-33 दिनांक 29.05.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया तथा अपील मुख्य का आधार यह लिया गया कि विहित प्राधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार) संपरिवर्तन आदेश जारी करने हेतु सक्षम नहीं थे तथा मौके पर कॉलोनी के रूप में उपयोग दर्शाते हुए संपरिवर्तन प्रभार राशि भी कम जमा होने का आधार बनाया। रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा दिनांक 22.05.2013 को रेस्पोंडेंट संख्या 02 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि का आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने का निवेदन किया। रेस्पोंडेंट संख्या 02 द्वारा पटवारी हल्का सिरोडी से मौका एवं राजस्व रेकॉर्ड की जांच करवाई गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 02 में यह अंकित किया कि पूर्व में प्रस्तावित भूमि का अकृषि उपयोग नहीं हो रहा है। इस पर आवासीय ईकाई हेतु 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से देय संपरिवर्तन प्रभार राजकोष में जमा करवाया जाकर संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार रेवदर द्वारा अपनी अपील में प्रथम आधार यह लिया गया कि विहित प्राधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार) संपरिवर्तन आदेश जारी करने हेतु सक्षम नहीं है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कर्तव्य) नियम 1958 के नियम 6 (8) के तहत जिला कलक्टर की सामान्य या विशिष्ट स्वीकृति से तहसीलदार के कर्तव्यों के पालना हेतु नायब तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी माना है। इस तथ्य की पुष्टि जिलाकलक्टर सिरोही के आदेश क्रमांक/स्थापन/2013/251 दिनांक 15.04.2013 से होती है, जिसमें नायब तहसीलदार रेवदर को अपने पद के कार्य के साथ-साथ तहसीलदार रेवदर के पद का कार्य संपादित करने के आदेश दिये गये हैं। इस अनुरूप नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार) विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपरिवर्तन आदेश जारी करने हेतु सक्षम थे। द्वितीय आधार यह लिया गया कि कार्यवाहक तहसीलदार द्वारा मौके पर जांच नहीं की गई, जबकि मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार रेवदर की पत्रावली में संलग्न है, जिसमें बिन्दुवार मौका जांच प्रतिवेदन वर्णित है। तीसरा एवं मुख्य आधार यह लिया गया कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया है तथा मौके पर आवासीय कॉलोनी का स्वरूप है। जिसके कारण संपरिवर्तन प्रभार की राशि कम जमा हुई है। इन तथ्यों के समर्थन में तहसीलदार रेवदर द्वारा न तो मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न की है तथा न ही ऐसी कोई जांच रिपोर्ट संलग्न की, जिससे यह साबित

पेज संख्या 4/4

होता हो कि भूमि का मौके पर आवासीय कॉलोनी के रूप में उपयोग हो रहा हो। इसके अतिरिक्त राशि कम जमा होना, संपरिवर्तन आदेश को अपास्त किये जाने का समुचित आधार नहीं पाया जाता है। यदि राशि कम जमा हुई है तो राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 19 के तहत बकाया राशि की वसूली के प्रावधान वर्णित है। राशि कम जमा होने के आधार पर संपरिवर्तन आदेश को अपास्त किया जाना तर्कसंगत नहीं है एवं न ही समर्थन योग्य है।



परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 03/2015 बउनवान सरकार बनाम पंकुदेवी में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2015 अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली